आयोजनागत

संख्या-6/2015/2114/18-4-14-10(बजट)/07

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एंव निदेशक उद्योग
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 03 फरवरी,2015

विषय-त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पत्र संख्या-714/ई0पी0बी0/बजट/2014-15 दिनांक 18-12-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातको के लिए विपणन सहायता हेतु रू0-100.00 लाख (रू0 एक करोड़) तथा गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान योजना हेतु रू0-300.00 लाख (रू0 तीन करोड़) अर्थात कुल रू0-400.00 लाख (रू0 चार करोड़) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2-उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तो के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग दर्शक सिद्वान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्य में व्यय के लिए वास्तविक मांग पर यथा आवश्यकता उपलब्ध करायी जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि केवल स्वीकृत योजना में योजना के उपखण्डों में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष ही व्यय की जायेगी। व्यय के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। किसी भी दशा में इसका उपयोग किसी अन्य मदों योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।

5- योजना का कार्यान्वयन एवं इस सम्बधं् में व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014-15,दिनांक 22-07-2014 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता

http://Bhadradesh.upnic.in

सुनिश्चित कराने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

6. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एंव शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

7. प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-आयोजनागत-13-त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किया जा रहा हैं।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-2114(1)/18-4-14-10(बजट)/07 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. कोषाधिकारी कानपुर।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
7. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-बी-माल एवेन्यू लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. वित्त नियंत्रक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in